# विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में (i) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियां, (ii) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विनियमन, (iii) बाढ़ संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण तथा (iv) ई-उपार्जन परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं और विषयक परिच्छेदों से युक्त 26 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

## निष्पादन लेखापरीक्षा

**चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियां**

चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा ने अत्यधिक वित्तीय अनियमितताओं, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली प्राध्यापकों की कमी, विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और शोध कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब पर प्रकाश डाला। कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत हैं:

- 380 प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों में से 141 पद (37 *प्रतिशत*) रिक्त पड़े थे जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और शोध गतिविधियां प्रभावित हुई।

**( परिच्छेद 2.1.8.1 )**

- 2012-17 के दौरान स्नातक कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में *प्रतिशत* गिरावट 14 से 25 के बीच रही तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में यह 27 से 67 के बीच रही। डॉक्टोरल कार्यक्रमों में लगभग 61 से 70 *प्रतिशत* स्थान रिक्त रहे।

**( परिच्छेद 2.1.9.2 )**

- 2007-16 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त एम.एस.सी. (जीव विज्ञान) कार्यक्रम के संचालन तथा 2013-17 के दौरान गृह विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के कारण, विश्वविद्यालय ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 2016-17 तक उत्तीर्ण होने वाले 259 छात्रों के कैरियर को जोखिम में डाला।

**( परिच्छेद 2.1.9.4 तथा 2.1.9.5 )**

- 2011-15 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तीर्ण होने वाले 1,545 छात्रों में से मात्र छः *प्रतिशत* (94) छात्र ही विश्वविद्यालय के रोजगार प्रकोष्ठ (प्लेसमेंट सेल) के द्वारा रोजगार पा सके जो यह इंगित करता है कि विश्वविद्यालय डिग्रीधारकों की रोजगार पाने की आकांक्षाओं को पूरा करने में अक्षम रहा।

**( परिच्छेद 2.1.9.8 )**

- 2012-17 के दौरान हुए शोध कार्यों के परिणामों के लिए विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं की जिसके बिना उनकी सत्यता/परिणामों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। अप्रैल 2012 तथा जून 2016 के बीच पूर्ण होने वाली ₹ 6.98 करोड़ की तीन शोध परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी थी जबकि मार्च 2017 तक इन शोध परियोजनाओं पर ₹ 4.79 करोड़ का व्यय हो चुका था।

**( परिच्छेद 2.1.10.2, 2.1.10.6 तथा 2.1.10.7 )**

- 2013-17 के दौरान, सरकारी कार्यकारियों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में 42 से 68 *प्रतिशत* की गिरावट थी। यद्यपि किसानों को प्रशिक्षण का लक्ष्य 2012-17 के दौरान प्राप्त कर लिया गया किंतु विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण के प्रभाव को, इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये नहीं आंका।

**( परिच्छेद 2.1.11.1 )**

- 2012-17 के दौरान विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को पेंशन से सम्बंधित लाभ पहुंचाने के लिये राज्य अनुदानों में से ₹ 178.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया तथा 2004-17 के दौरान 38 विभागों के 663 मामलों में किया गया ₹ 20.19 करोड़ का आकस्मिक अग्रिम का भुगतान मार्च 2017 तक असमायोजित पड़ा था जिसमें से ₹ 4.55 करोड़ का अग्रिम पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया था।

**( परिच्छेद 2.1.7.2 तथा 2.1.7.5 )**

- आंतरिक नियंत्रण व निगरानी तंत्र लगभग अस्तित्वहीन थे क्योंकि विश्वविद्यालय ने न तो खातों/भंडारों का आंतरिक निरीक्षण किया था और न ही 2012-17 के दौरान कार्यक्रमों/गतिविधियों की निगरानी के लिये समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित किया था।

**( परिच्छेद 2.1.13.2 तथा 2.1.13.3 )**

**निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विनियमन**

राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 पारित किया और 2008 में (2009 में संशोधित) हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका अधिसूचित की। उसके बाद, उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों के विनियमन के लिए फरवरी 2011 में हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान विनियामक आयोग (विनियामक आयोग) स्थापित हुआ। उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए सम्पूर्ण नीति नियामक एवं विनियमन हेतु जिम्मेदार है। कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत है:

- राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया था और 17 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी जिसमें से 10 मात्र एक जिले में स्थित थे (एक ग्राम पंचायत में चार) जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।

**( परिच्छेद 2.2.6.1 )**

- राज्य सरकार ने वित्तीय सुदृढ़ता, प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञता एवं संभाव्यता के निर्धारण के लिए कोई उद्देश्य मापदण्ड/मानक निर्धारित नहीं किया था जिससे स्वैच्छिक तथा अपरादर्शी निर्णय को बढ़ावा मिला।

**( परिच्छेद 2.2.6.2 )**

- विनियामक आयोग में श्रमशक्ति की अत्यधिक कमी थी जो निरीक्षणों में अत्यधिक कमी के रूप में परिलक्षित हुई। 2011-17 के दौरान निजी विश्वविद्यालयों में 1,394 पाठ्यक्रम विनियामक आयोग द्वारा अवसंरचना तथा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिना निरीक्षणों के स्वीकृत कर दिये गये।

**( परिच्छेद 2.2.7.1 तथा 2.2.8.1 )**

- निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस राज्य सरकार द्वारा लागत तत्वों पर विचार किए बिना स्वीकृत कर दी गयी; तीन नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने 2016-17 की तुलना में 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिए बिना औचित्य के 21,23 तथा 58 *प्रतिशत* फीस बढ़ा दी।

**( परिच्छेद 2.2.9.1 )**

- तीन नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने ₹ 4.58 करोड़ राशि का अनधिकृत विकास शुल्क एकत्र किया था। चार नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने 2012-16 के दौरान पास हुए 2,906 विद्यार्थियों को ₹ 2.89 करोड़ की प्रतिभूति राशि वापस नहीं की थी।

**( परिच्छेद 2.2.9.2 तथा 2.2.9.4 )**

- राज्य में 15 निजी विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता न रखने वाले प्राध्यापकों के साथ कार्य कर रहे थे विशेषकर प्रोफेसर (22 *प्रतिशत*) तथा सह-प्रोफेसर (28 *प्रतिशत*) स्तरों पर।

**( परिच्छेद 2.2.10.1 )**

- निजी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की विशेष कमी थी, विशेषतया प्रोफेसर (38 *प्रतिशत*) तथा सह-प्रोफेसर (61 *प्रतिशत*) स्तरों पर।

**( परिच्छेद 2.2.10.2 )**

- राज्य में 17 निजी विश्वविद्यालयों में से केवल तीन ने मार्च 2017 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद से मान्यता प्राप्त की थी।

**( परिच्छेद 2.2.13.1 )**

**बाढ़ संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण**

हिमाचल प्रदेश राज्य में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर्याप्त योजना के बिना बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन, परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलम्ब तथा अप्रभावी अनुश्रवण को दर्शाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे सारांशित किए गए हैं:

- विभाग ने न तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था न ही बाढ़ संरक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु बेसिन-वार विस्तृत मास्टर योजना तथा कार्रवाई योजना तैयार की थी। राज्य के अनुमानित 2.31 लाख हैक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र में से केवल 25,116.21 हैक्टेयर (11 *प्रतिशत*) ही मार्च 2017 तक आवृत्त किया जा सका।

**( परिच्छेद 2.3.6.1 तथा 2.3.6.3 )**

- 2012-17 के दौरान बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं/कार्यों के निर्माण में रूपात्मक अध्ययन के अभाव में तथा सभी संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक उपायों (तटबंधनों को छोड़कर) की गैर-योजना/निष्पादन से बाढ़ों से उत्पन्न आपदाओं को नियंत्रित तथा विनाश कम करने के बेहतर परिणाम प्राप्त करने की असम्भावना थी।

**( परिच्छेद 2.3.6.2 तथा 2.3.6.9 )**

- 2008-17 के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 657.36 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 21.25 करोड़ कम जारी किए गये थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में 12 से 60 मास से अधिक का विलम्ब हुआ।

**( परिच्छेद 2.3.8.1 )**

- 2008-13 के दौरान अनुमोदित सात बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं के प्रति जोकि मार्च 2012 से मार्च 2017 के दौरान पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, केवल चार परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था तथा मार्च 2017 तक 548.995 किलोमीटर लक्ष्य के प्रति 275.873 किलोमीटर (50 *प्रतिशत*) तटबंध निर्मित किए गए थे।

**( परिच्छेद 2.3.8.2 )**

- विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का अनुदग्रहन/वसूली न करना तथा क्षतिग्रस्त कार्य की पुन: स्थापना/हानि की वसूली न करना और निष्पादन गारंटी/नवीनीकरण न करने के फलस्वरूप 48 संविदाओं में संविदाकारों को ₹ 11.97 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

**( परिच्छेद 2.3.10.1 तथा 2.3.10.2 )**

- 2006-15 के दौरान नमूना-जांचित छ: मण्डलों द्वारा आहरित तथा वास्तविक प्रयुक्तता के बिना कार्यों को अनियमित रूप से प्रभारित किए गये ₹ 67.48 करोड़ के प्रति, ₹ 57.45 करोड़ अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान प्रयुक्त किए गए तथा शेष ₹ 10.03 करोड़ दो से चार वर्षों से अधिक के लिए निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े थे।

**( परिच्छेद 2.3.11.1 )**

- राज्य में सुदृढ़ बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली विद्यमान नहीं थी तथा विभाग ने क्रमश: संकटपूर्ण/ मुख्य बाढ़ संरक्षण अनुरक्षण कार्यों और मुख्य कार्यों की समीक्षा के संयुक्त निरीक्षण हेतु स्थायी समिति तथा समीक्षा समिति का गठन नहीं किया था।

**( परिच्छेद 2.3.12.1, 2.3.13.2 तथा 2.3.13.3 )**

**ई-उपार्जन परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा**

राज्य सरकार ने वस्तुओं के उपार्जन, कार्यों तथा सेवाओं में क्षमता तथा पारदर्शिता की वृद्धि के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक उपार्जन (ई-उपार्जन) आरंभ किया था (जून 2011)। इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु परियोजना की संकल्पना तथा क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2017 से जून 2017 के दौरान की गयी थी। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

- ई-उपार्जन, ई-गवर्नेंस पर भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना का अंग था। राज्य में 90 संगठनों में से 26 में ई-परियोजना के सात मॉड्यूलों में से मात्र एक मॉड्यूल (ई-निविदा) को क्रियान्वित करने हेतु विचार किया गया था। यद्यपि ई-निविदा मॉड्यूल में भी महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे बोलियों को ऑनलाइन खोलना, मोल-भाव तथा संविदा का अधिनिर्णय मैनुअल ढंग से किया जा रहा है।

**( परिच्छेद 2.4.1, 2.4.7.1 तथा 2.4.7.2 )**

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्यापार नियम नहीं डाले गये हैं जिससे नियत अवधि से पहले निविदाओं को अनियमित ढंग से खोला गया।

**( परिच्छेद 2.4.6.1 )**

- विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं द्वारा एक ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के प्रयोग तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से सुरक्षित ऑनलाइन बोली का प्रमुख उद्देश्य विफल हुआ।

**( परिच्छेद 2.4.6.2 )**

- निविदा नियमों में संशोधन नहीं होने के कारण ई-उपार्जन तंत्र के माध्यम से निविदाओं के संसाधन की समय सारिणी को घटाया नहीं जा सका और 2011-17 के दौरान निविदाओं के संसाधन में लगा समय 122 से 554 दिनों के मध्य था।

**( परिच्छेद 2.4.6.4 )**

- ई-उपार्जन तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिनियम/नियमावली, सेवा स्तर अनुबंध तथा रोल-आउट योजना तैयार/निष्पादित नहीं की गयी है।

**( परिच्छेद 2.4.7.3 तथा 2.4.8.1 )**

- सेवाओं का वितरण नहीं किये जाने के कारण एक उपयोक्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन से तंत्र में उच्च जोखिम की सम्भावना बढ़ी और इससे उत्तरदायित्व का प्रवर्तन असम्भव होगा।

**( परिच्छेद 2.4.8.3 )**

- ई-उपार्जन तंत्र के प्रभावी उपयोग हेतु बोलीकर्त्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने में 98 *प्रतिशत* की कमी थी और निगरानी भी अपर्याप्त थी क्योंकि कोर समिति की अपेक्षित बैठकें नहीं हुई थी।

**( परिच्छेद 2.4.9.7 तथा 2.4.9.8 )**

## अनुपालना लेखापरीक्षा

### मिट्टी परीक्षण गतिशील प्रयोगशालाओं की खरीद पर निरर्थक निवेश

प्रयोगशालाओं के लिए परिचालन स्टाफ सुनिश्चित किए बिना कृषि विभाग द्वारा मिट्टी परीक्षण गतिशील प्रयोगशालाओं की खरीद में योजना की कमी के कारण वे अनुपयोगी रही जिससे ₹ 2.02 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

**( परिच्छेद 3.1 )**

### जैविक/पारम्परिक काली चाय की बिक्री में हानि

बिना प्रतियोगी निविदा के फर्म का चयन तथा समझौता ज्ञापन में निष्पादन बैंक प्रतिभूति के खण्ड को सम्मिलित करने अथवा समझौता ज्ञापन पत्र के शर्तों व निबंधनों के उल्लंघन पर नुकसान के लिए जिम्मेदारी का समझौता ज्ञापन में प्रावधान लगाने में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की असफलता के परिणामस्वरूप जैविक/पारम्परिक चाय की आपूर्ति में ₹ 75.62 लाख की हानि हुई।

**( परिच्छेद 3.2 )**

### कृषि फसल बीमा योजनाएं

राज्य में फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों की व्याप्ति (कवरेज) काफी कम थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत 2014-16 के दौरान खरीफ फसलों के लिए मात्र 1.72 *प्रतिशत* किसानों तथा रबी फसलों के लिए 1.01 से 1.68 *प्रतिशत* किसानों को सम्मिलित किया गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2014-17 के दौरान खरीफ फसलों के लिए मात्र 0.09 से 2.43 *प्रतिशत* किसानों तथा रबी फसलों के लिए 9.34 से 13.61 *प्रतिशत* किसानों को बीमित किया गया। फसल/क्षेत्र अधिसूचना के जारीकरण में 14 से 98 दिनों की देरी के परिणामस्वरूप किसानों विशेषकर अऋणी किसानों को कम सम्मिलित किया गया। ग्राम पंचायत अथवा राजस्व वृत्त सबसे छोटी बीमा इकाई/क्षेत्र के स्थान पर कृषि विभाग ने तहसील अथवा ब्लॉक को बीमा इकाई के रूप में अपनाया जिसके कारण फसल हानि का ठीक निर्धारण नहीं हुआ। 2016-17 के दौरान कट-ऑफ तिथियों के बाद बीमा कम्पनियों को मामलों के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप 5,405 किसान सम्मिलित नहीं हुए।

**( परिच्छेद 3.3 )**

### दवाओं/उपकरण के उपार्जन पर परिहार्य व्यय

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना निधियों में से उपार्जनों के लिए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में पशुपालन विभाग की विफलता से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन उपार्जन तथा विपणन संघ सीमित को ₹ 60.71 लाख के संचालन प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

**( परिच्छेद 3.4 )**

### वन थानों की स्थापना

वन थानों की स्थापना के लिए वन विभाग द्वारा नीति के क्रियान्वयन में समुचित येाजना की कमी के परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्य के लिए ₹ 4.04 करोड़ मूल्य की अवसंरचना अनुपयोगी रही।

**( परिच्छेद 3.5 )**

### तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा न करवाना

उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर वन विभाग ने कोलडैम जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त ₹ 59.31 करोड़ का शुद्ध वर्तमान मूल्य तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के बजाय सरकारी खाते में जमा करवाया। परिणामत: पर्यावरणीय क्षति कम करने के लिए वन संरक्षण गतिविधियां उक्त राशि में से नहीं की गई।

**( परिच्छेद 3.6 )**

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने न तो खाद्य व्यापार स्थापना की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया न ही ऐसे स्थापना का डाटाबेस तैयार किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अत्यधिक रिक्त पदों की संख्या मुख्य चिंता का विषय है जिससे उचित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग, निगरानी एवं निरीक्षण और खाद्य नमूनों को उठाने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कण्डाघाट का खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ांचों से सुसज्जित नहीं था। राज्य में संस्थागत/नियामक ढ़ांचा और बुनियादी ढ़ांचा पर्याप्त नहीं था और खाद्य गुणवत्ता/सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनुपालना का अनुश्रवण कमजोर था।

**( परिच्छेद 3.7 )**

**दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बॉण्ड का गैर-प्रवर्तन**

राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों जो उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद राज्य सरकार की सेवा करने की अपनी शपथ से मुकर गये, से ₹ 2.25 करोड़ की बॉण्ड राशि की वसूली करने हेतु बॉण्ड का प्रवर्तन नहीं किया था, जबकि राज्य में विशेषज्ञों की गंभीर कमी थी।

**( परिच्छेद 3.8 )**

**राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत निष्क्रिय उपकरण**

आवश्यकता के गैर-निर्धारण तथा प्रशिक्षित परिचालकों को सुनिश्चित करने में गृह विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप छः वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय उपकरण पर ₹ 91.14 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

**( परिच्छेद 3.9 )**

**लाइमस्टोन निक्षेपों की खोज हेतु ड्रिलिंग पर अनुचित/निष्फल व्यय**

उद्योग विभाग ने लाइमस्टोन रिजर्वों की खोज तथा आकलन हेतु प्राप्त राशि की तुलना में ₹ 1.88 करोड़ का अनुचित व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, बिना किसी कार्य के स्टाफ की नियुक्ति पर ₹ 1.79 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था।

**( परिच्छेद 3.11 )**

**सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय**

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद समयबद्ध ढंग से सरकाघाट शहर के लिए सीवरेज स्कीम के निष्पादन में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.14 करोड़ के निष्फल व्यय तथा ₹ 0.99 करोड़ के अनियमित व्यय के अतिरिक्त तीन वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 6.36 करोड़ का अवरोधन हुआ।

**( परिच्छेद 3.13 )**

**कौशल विकास भत्ता योजना**

संस्थान जो स्वीकार करने योग्य मानकों के नहीं थे, में पंजीकृत 3795 प्रशिक्षुओं को ₹ 85.74 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। गैर-सूचीबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के 102 प्रशिक्षुओं को ₹1.02 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। दावों का सत्यापन करने में श्रम एवं रोजगार विभाग की विफलता से 49 व्यक्तियों को झूठे प्रलेखों पर ₹ 0.49 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान हुआ। 2013-17 के दौरान 625 प्रशिक्षुओं जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था तथा बीच में ही छोड़ गए थे, को ₹ 25.00 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों के रोजगार अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण का अर्थ ये था कि परिकल्पित परिणामों की उपलब्धि को मापने हेतु किसी तंत्र के बिना लाभों का प्रत्यक्ष अंतरण उपलब्ध करवाने तक स्कीम सीमित रही थी।

**( परिच्छेद 3.14 )**

**प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना**

भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा स्थल के चयन में योजना की कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा क्रमश: नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का निर्माण और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला हेतु सुपर-स्पेशियल्टी ब्लॉक का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया था। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में अत्यधिक मानवशक्ति कमियों तथा अपेक्षित उपकरण की कमी के परिणामस्वरूप मरीज सुविधाओं एवं सेवाओं से वंचित हुए। निष्पादन अभिकरण के चयन में अनिर्णय से निष्पादन अभिकरणों को ₹ 15.09 करोड़ जारी करने के बावजूद एम0बी0बी0एस0 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के हॉस्टल का निर्माण अपूर्ण रहा और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के हॉस्टल का कार्य गैर-निष्पादित रहा था।

**( परिच्छेद 3.15 )**

**सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालयों में अवसंरचना का असृजन तथा निधियों का अपवर्तन**

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा ₹1.78 करोड़ के राज्यांश को जारी न करने तथा भारत सरकार द्वारा गैर-अनुमोदित सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालयों को ₹ 3.00 करोड़ के अपवर्तन के कारण चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभिप्रेत अवसंरचना का सृजन नहीं हुआ।

**( परिच्छेद 3.16 )**

**जंगी थोपन तथा थोपन पोवारी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होना**

जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्त्ता के साथ पूर्व-क्रियान्वयन अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब्ती के स्थान पर ₹ 260.13 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम को रिफंड करने के राज्य सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी तथा उपर्युक्त सीमा तक विकासकर्त्ता को अनुचित लाभ होगा।

**( परिच्छेद 3.17 )**

**तारकोल का उपार्जन, उपभोग तथा लेखांकन**

लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत आवंटन के अन्तर्गत समायोजन के लिए बकाया ₹ 427.14 करोड़ के भुगतानों के प्रति भुगतानकर्ता मण्डलों ने तारकोल की प्राप्ति के समर्थन में निष्पादन मण्डलों से ₹ 141.57 करोड़ (33 *प्रतिशत*) समायोजित नहीं किया था जिसमें से ₹ 35.13 करोड़ आठ से 11 वर्षों से अधिक अवधि हेतु बकाया था। नमूना-जांचित मण्डलों में आवंटन/आपूर्ति आदेशों के प्रति ₹ 2.51 करोड़ मूल्य के 663.221 मीट्रिक टन तारकोल की कम प्राप्ति थी। मण्डलीय स्तर पर खरीद के अन्तर्गत नमूना-जांचित मण्डलों ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹ 31.48 करोड़ के 7,292.733 मीट्रिक टन तारकोल की खरीद की। 3,859.874 मीट्रिक टन तारकोल की वास्तविक प्रयुक्तता का विवरण/अभिलेख नमूना-जांचित मण्डलों के पास उपलब्ध नहीं था जो दुरूपयोग/चोरी के जोखिम को बढ़ाता है। प्राप्ति, निर्गमन तथा उपयोग के डाटाबेस का शीर्ष स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा तारकोल का अनुश्रवण तंत्र लगभग अविद्यमान था।

**( परिच्छेद 3.19 )**

**ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली**

सड़क के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा टेलीकॉम कम्पनियों से देय राशि की गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ की कम वसूली हुई तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण वाहनों के क्रय करने पर ₹ 0.42 करोड़ का अनियमित विचलन हुआ।

**( परिच्छेद 3.20 )**

**सड़क तथा पुल को पूर्ण न करने के कारण निष्फल व्यय**

सड़क तथा पुलों का गत 12 से 15 वर्षों से निर्माण कार्य पूर्ण करने में लोक निर्माण विभाग की अनुचित योजना तथा विफलता के कारण अभिप्रेत वाहन योग्य सड़क सुविधा से क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा गया फलस्वरूप ₹ 27.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 1.38 करोड़ का अवरोधन हुआ।

**( परिच्छेद 3.21 )**

**राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित आवंटन तथा दुरूपयोग**

राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 26.12 करोड़ का अनियमित आवंटन तथा आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय/आवासीय भवनों की मरम्मत तथा बहाली के लिए ₹ 6.44 करोड़ का दुरूपयोग हुआ जबकि निधियों की अनुपलब्धता के कारण प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को ₹ 8.24 करोड़ की राहत देने से इन्कार किया गया।

**( परिच्छेद 3.22 )**

**देय राशि की कम वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से अधिक/अनुचित आवंटन**

राजस्व विभाग द्वारा जल विद्युत शक्ति परियोजना के विकासकर्त्ता से ₹ 2.215 करोड़ की कम वसूली, जिला स्तरीय स्कीमों के लिए स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि से ₹ 17.73 लाख का अधिक आवंटन तथा ₹ 21.44 लाख के अनुचित आवंटन के कारण परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लिए विकास उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 57 प्रस्तावित स्कीमें निधियों के अभाव में लम्बित रही।

**( परिच्छेद 3.23 )**

**राज्यांश का कम जारी करना तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम निधियों की अनियमित प्रयुक्ति**

₹ 2.54 करोड़ के राज्यांश को कम जारी करना तथा अस्वीकार्य मदों पर ₹ 1.18 करोड़ के अनियमित व्यय के कारण राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की गतिविधियां अपूर्ण रही जबकि प्राप्त निधियां राजस्व विभाग द्वारा पूरी तरह से प्रयुक्त कर ली थी।

**( परिच्छेद 3.24 )**

**स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण**

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिह्नित लक्षित जनसंख्या (2012) के बेस-लाइन सर्वेक्षण पर आधारित थी जिसका 2012-13 से अद्यतन नहीं किया गया था। शहरी विकास विभाग द्वारा हाउस-टू-हाउस सर्वेक्षण न करने तथा शहरी स्वच्छता योजना को न बनाने के कारण शहरी क्षेत्रों में लक्षित जनसंख्या तथा स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता को स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के अन्तर्गत 2015-17 के दौरान शौचालयों के निर्माण में कमी 94 से 100 *प्रतिशत* के मध्य थी जबकि स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामुदायिक परिसरों के निर्माण में विलम्ब हुआ। बैजनाथ तथा देहरा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण करने के परिणामस्वरूप प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर व्यक्तिगत परिवार शौचालयों के फोटोग्राफ को अपलोड किये बिना 6,587 लाभार्थियों को ₹ 7.90 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ।

**( परिच्छेद 3.26 )**